R.M.M. Law College Saharsa III rd part

Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Sub- Evidence

प्र.7

सुसंगत विवाद्यक तथ्य
न्यायालय के समक्ष जितने सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य
होते हैं वे मौखिक या दस्तावेजी
से साबित किये जाते हैं। इस सामान्य
नियम के दो अपवाद हैं- (1) जिन तथ्यों
को पक्षकारों की स्वीकृति हो जाती
है और (2) जिन तथ्यों की न्यायिक
अवेक्षा (Judicial Notice) कर सकता
है उन्हें साबित करने आवश्यकता नहीं रह
जाती। ~~यह धारा दूसरे~~ प्रकार के
तथ्यों से सम्बन्धित है।

यह धारा केवल इतना कहती है कि
किसी ऐसे तथ्य को साबित करने ~~आवश्यकता~~
आवश्यकता नहीं होती जिसकी न्यायालय अवेक्षा
कर सकता है। न्यायालय धारा उन तथ्यों का
वर्णन करती है। जिनका न्यायिक अवेक्षा की
जा सकती है।

न्यायिक अवेक्षा - कुछ तथ्य
ऐसे प्रसिद्ध या सुप्रतिष्ठित (Well-established)
होते हैं इनके अस्तित्व को साबित
करना जरूरी नहीं रह जाता। न्यायालय
उसके अस्तित्व स्वतः ही संज्ञान (Cognizance)
ले लेता है। इसी को न्यायिक अवेक्षा
कहते हैं।

जब धारा 57 में वर्णित किसी तथ्य
का अस्तित्व प्रश्नगत हो जाता है और
पक्षकार उनके अस्तित्व का अनस्तित्व

Scanned with CamScanner

करके प्रसारित करता है उसकी उसके विषय में साक्ष्य देना आवश्यक नहीं, न्यायालय ऐसे प्रकाशित सामग्री का सहारा लेगा दुआ यदि उसका नीतिज्ञान उसका सहायक नहीं हो पाता। उक्त प्रश्न पर निर्णय लेगा और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह पक्षकारों से सहायता प्राप्त कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार की अपेक्षा भी वह साक्ष्य नियमों से आवद्ध नहीं होगा। वह किसी ऐसे स्रोत का सहारा ले सकता है जिनसे जिससे उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। वह किसी ऐसे ग्रन्थ का अवलोकन कर सकता है उसे सुगमता से उपलब्ध हो सके या किसी अन्य व्यक्ति से भी पूछ ताछ कर सकता है, किन्तु जब वह ऐसा करे तो यह आवश्यक है, कि जिस प्रकार उसने ज्ञान प्राप्त किया है; उसकी इत्तिला पक्षकारों को दे दे जिससे कि यदि वे चाहें तो उस विषय में सबूत दे सकें या बहस कर सकें।

किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय कार्यरत व्यक्तियों के नाम, पदधारण की उपाधियाँ, कृत्य और हस्ताक्षर यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।